आधारित है । हाल ही में हुई बैठकों में से, एक बैठक में उक्त मंत्रालय ने दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान (डेसू) को विभिन्न 220 के० वी० पारेषण लाइनों के निर्माण कार्य में तेजी लाने, राजघाट में तीन क्षति-ग्रस्त गैस टर्बाइनों और एक ताप-विद्युत यूनिट को शीघ्र पुनः चालू करने, वोल्टेज, प्रोफाइल को सतत आधार पर बनाए रखने हेतु पर्याप्त शेट कैपेसिटर्स, प्रतिष्ठापित करने आदि का सुझाव दिया था ।

(ग) और (घ) डेसू द्वारा गैस टर्बाइनों की मरम्मत संबंधी कार्यवाही पहले ही आरम्भ कर दी गई है । राजघाट की यूनिट सं. 2 क मरम्मत कार्य पहले ही पूरा हो चुका है इसके शीघ्र ही चालू हो जाने की संभावना है । विभिन्न 220 के० वी० सबस्टेशनों के निर्माण संबंधी कार्य में कुछ कठिनाइयां आ रही हैं जिसका कारण कुछ स्थानों पर डेसू के सामने "राइट आफ वे" संबंधी समस्याओं का होना है । डेसू द्वारा 220 एम. वी. ए. आर. कैपेसिटर्स हेतु पहले ही मैसर्ज भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि. (भेल) को आर्डर दे दिया गया है ।

देश में बिजली के संचरण और वितरण में होने वाली हानि

83. श्री राम जेठमलानी:
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या विद्युत और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हमारे देश में बिजली के संचरण और वितरण की प्रक्रिया में इसकी भारी हानि होती है ;

(ख) यदि हां, तो प्रति वर्ष होने वाली हानि की मात्रा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने विश्व के अन्य विकसित और विकासशील देशों में इस प्रक्रिया में होने वाली बिजली की हानि की मात्रा का पता लगाया है ;

(घ) यदि हां, तो विकासशील और विकसित देशों में इस हानि का प्रतिशत क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस हानि को रोकने के लिए तत्काल क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

विद्युत और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) वर्ष 1988-91 के दौरान भारत में विभिन्न विद्युत प्रणालियों में औसत पारेषण एवं वितरण हानियां लगभग 23 प्रतिशत रही हैं ।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ङ) इन हानियों में कमी करने हेतु विद्युत यूटिलिटीज को व्यापक मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गए हैं । इनमें अन्य बातों के साथ-साथ ये शामिल हैं :— अधिक हानियों के लिए उत्तरदायी प्रणाली संबंधी घटकों का पता लगाने हेतु ऊर्जा लेखा परीक्षा करना, वोल्टेज प्रोफाइल में सुधार करने हेतु कैपेसिटर्स प्रतिष्ठापित करना, उनकी पारेषण एवं वितरण प्रणालियों को सुदृढ़ करने तथा उनमें सुधार करने हेतु प्रणाली सुधार स्कीमें तैयार करना, ऊर्जा की चोरी को रोकने के लिए टैम्पर प्रूफ मीटर बक्से लगाना और ऊर्जा की चोरी संबंधी मामलों का पता लगाने के लिए सतर्कता दलों का गठन करना । भारतीय बिजली अधिनियम, 1910 की धारा 39 के प्रावधानों के अन्तर्गत अगस्त, 1986 से ऊर्जा की चोरी को एक संज्ञेय अपराध घोषित किया गया है । पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा राज्य बिजली बोर्डों के लिए वर्ष 1987 से एक प्रोत्साहन स्कीम आरंभ की गई है ।

Information facilities at Airports

84. SHRI MENTAY PADMANABHAM: Will the Minister of CIVIL AVIATION AND TOURISM be pleased to state:

(a) whether any steps are contemplated by Indian Airlines to have better information facilities at arrival lounges;